

728/  
09/11/17

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर  
क्रमांक : शिविरा-मा/साप्र/बी-2/विविध/2017

दिनांक : 31/01/2017

ए.ए.सी.सी.

अ.प्र.न.न.

जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक) झालावाड़

विषय : गेटरनिटी प्रोटेक्शन एक्ट अमेडमेन्ट 2004 के  
तहत श्रीमती साक्षी शर्मा, क0लि0 को एक घण्टे  
की छूट के क्रम में ।

प्रसंग : आपका पत्र दिनांक 1.9.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि गेटरनिटी प्रोटेक्शन एक्ट अमेडमेन्ट 2004 के तहत महिला कार्मिक को ब्रेस्ट फिडिंग हेतु वर्तमान में कोई नियम नहीं है ।

सहायक निदेशक (प्रशासन)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर